



प्रेस विज्ञप्ति

07.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर आंचलिक कार्यालय ने डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड (डीआईएल) घोटाले के मामले में धन शोधन अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत राजस्थान के जयपुर और कोटा जिलों में कई स्थानों पर 04.07.2025 को तलाशी अभियान चलाया। मेसर्स डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनएसई सूचीबद्ध कंपनी) के चेयरमैन मुकेश महावर उर्फ मुकेश मनवीर सिंह और उनके सहयोगियों के आवास और कार्यालय पर तलाशी ली गई।

ईडी ने राजस्थान पुलिस द्वारा अभिषेक खंडेलवाल, श्रीमती नाजिया बानो और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर और मेसर्स डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश मनवीर सिंह, सुनील कलोट और श्रीमती प्रियंका शर्मा के खिलाफ सेबी द्वारा दर्ज अभियोजन शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। कंपनी ने जून 2023 के दौरान शेयरों के राइट्स इश्यू के लिए आवेदन किया था और 49.09 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की थी।

पीएमएलए जांच के दौरान, यह पाया गया कि इन व्यक्तियों ने शेयर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी और अपने निजी लाभ के लिए भोले-भाले निवेशकों को धोखा दिया था। डीआईएल ने अपने वित्तीय विवरणों में हेराफेरी की, झूठे बैंक खाते प्रस्तुत किए, फर्जी बिक्री और खरीद की सूचना दी, फंड की राउंड ट्रिपिंग की और राइट्स शेयर जारी करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य बोर्ड में स्थानांतरित हो गए। इसके अलावा, राइट्स के मुद्दे से एकत्रित की गई पूरी आय जिसका उपयोग वैध व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए था, उसे प्रमोटरों और उनके सहयोगियों द्वारा हड़प लिया गया है।

तलाशी अभियान के दौरान पता चला कि संदिग्धों ने स्टॉक एक्सचेंजों को गुमराह करने के लिए अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को निदेशक नियुक्त किया था। इसके अलावा, प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि निदेशकों ने विदेशी संस्थाओं में धन की हेराफेरी की, इस धन को डायवर्ट किया और रियल एस्टेट में निवेश किया। इसके अलावा, ईडी ने 78 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी के साथ-साथ चार हाई एंड लगजरी कारें जब्त की हैं जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम, बेंटले मल्लैन, मर्सिडीज बेंज जी-वैगन (ब्रेबस) और टोयोटा लैंड क्रूजर शामिल हैं। इसके अलावा, तलाशी के दौरान, विभिन्न संपत्तियों में निवेश से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, बैंकिंग रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं। आगे की जांच जारी है।

